

तारीख हुबम

काई जाती है | पत्रावली वास्ते बहस
दि. 29/07/19 को पेश है

29/07/17


वकील वादीगण उपस्थित | पत्रावली वास्ते
साक्ष्य वादीगण एवं बहस आदेशों किंवदंती
06/08/19 को पेश है |

06/08/19

वकील वादीगण उप० | वकील वादीगण ने मुख्य ज
परीक्षण कक्षत शपथपत्र PW1, PW2, PW3 पेश
किये जो शामिल पत्रावली किये गये | वकील
वादीगण की उल्लेख में एक फीफ बहस
सुनी गई | वास्ते आदेशार्थ मिसल किंवदंती
22/08/19 को पेश है |

22/08/19

पत्रावली पेश हुई | उल्लेख में वकील वादीगण
की बहस सुनी जा चुकी है | दोनो बहस
वकील वादीगण ने मुताबिक टाजनामा दवा
डिक्री किया जाने का निवेदन किया |



पत्रावली पत्रावली पर उपलब्ध
टाजनामा के पत्रावली पर उपलब्ध किया गया
जिनके अवलोकन से वादीगण का वाद
स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने
पर न्यायद्वित में स्वीकार किया जाता है
तथा घोषणा इस अक्षय की जाती की

जारी है कि :-

आदेश

तत्तु ग्राम डुलथाना पटवार हल्का पूजातीका
वास तहसील खण्डेला अखिलेश्वर कृषि मूमि
ख. नं. 178/3, 179/5, 179/6 रकबा 1.68
हे. में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्से
में से बादी सं. 1 को 1/5 हिस्सा एवं बादी
सं. 2 को 1/5 हिस्सा का खतौदा काशतका
घोषित किया जाकर उक्त 2/5 हिस्से से
प्रतिवादी सं. 1 का नाम हजफ किया जागा
है तथा शेष हिस्सा बदस्तूर रहेगा।
उक्तनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दामद
है। तदनुसार फर्च डिकी जारी है।
पत्रावली फंसल शमार होकर नम्बर से कम
है तथा बाद तलमील दाखिल इफ्तार है।
निर्णय खूले न्यायालय में सुनाया गया।

22/8/19
(मधीपाल सिंह) RAS
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

अंतिम डिक्ली मुकदमा इजादाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जादा दीवानी)

सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला
 श्री महीपाल सिंह, RAS
 ① नाथू राम * बनाम ① शिवपाल *

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्याई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 76 सन 2019

यह मुकदमा आज वारंते इनफिरसाल कतई रुबरु श्री महीपाल सिंह, RAS

व हाजिरी श्री माली राम सेनी गिनजानिव मुद्दई रुबरु श्री आदित्य उताप सिंह

गिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुतम दिया जाता है व खिन्ती दी जाती है कि

तन ग्राम कुलपना पटवार हल्का पुजारीकाबास तहसील खण्डेला अवास्तित कृषि
 मूफि खं. नं. 178/3, 179/5, 179/6 कब्जा 1.68 हे. में उत्तिवादी सं. 1 के नाम
 फर्ज हिस्से में से वादी सं. 1 को 1/5 हिस्सा एवं वादी सं. 2 को 1/5 हिस्सा
 का खातेदार काश्तका घौषित किया जाका उक्त 2/5 हिस्से से उत्तिवादी *

निज मुबलिय बाबत
 खर्चा इस मुकदमें के मय सूद वशरह फीसदी का अदा करे।
 तारीख अदायगी तक का अदा करे।

वसत मेरे दरस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 08 सन 2019 को

जारी की गई।



मुहर

दरस्तखत (महीपाल सिंह) RAS
 ओहदा सहायक कलेक्टर
 (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
रताम्प अर्जी दावा			रताम्प अर्जी दावा		
रताम्प दकालत नामा			रताम्प अर्जी		
रताम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमानामा		
बाबत इजराय हुकमानामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
गीजान			गीजान		

1 खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीके तारी के जरिये दिखाना गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

* ② सुभाष पुत्रगण शिवपाल
समस्त जाति जाट निवासीगण पुजारीकावास तहसील
खण्डेला जिला सीकर (राज०)



ग्राम

- बादीगण

* पुत्र मौर्य जाति जाट निवासी ग्राम पुजारीकावास
तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)

② सुमित्रा ③ सुमन पुत्रियां शिवपाल

समस्त जाति जाट निवासीगण पुजारीकावास तहसील खण्डेला
जिला सीकर (राज०)

④ लेंड हॉल्डर जीमें तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर (राज०)

- उतिवादीगण

* सं०। का नाम हफ्त किया जाता है तथा शीघ्र हिस्सा बदलता
हैगा। उक्तबुझाए राजस्व रिकॉर्ड में उमल दराभद हो।

22/8
(महीपाल सिंह) R
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला